	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/22	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 12/7/22 को पेश हो [initials] तहसीलदार मलसीसर से विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त	
[illegible]/7/22	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 13/7/22 को पेश हो [initials]	
13/7/22	अनुलाप उप० तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो व बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो [signature]	तहसीलदार मलसीसर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय / डिक्री जारी करने पर हमें कोई एतराज नहीं [signature] 13/7/22

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2017/00025

(आदेश 20 का नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

ायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 11/2017 (चन्द्रपकाश बनाम जयप्रकाश वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 13.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/1113 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.07.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट) 13/7/22
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

स्व वाद संख्या 11/2017

चन्द्रप्रकाश उम्र 63 वर्ष पुत्र स्व. औंकारमल जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र स्व. औंकारमल जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू (दौराने दावा मृतक)
   1/1 श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी स्व. जयप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर हाल हनुमतपुरा (खेड़ला का बास) तहसील सूरजगढ़
   1/2 शशि प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. जयप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर हाल हनुमतपुरा (खेड़ला का बास) तहसील सूरजगढ़
   1/3 रविप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. जयप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर हाल निवासी ए–27 कृष्णा नगर, गोला का मंदिर ग्वालियर मध्यप्रदेश
   1/4 श्रीमती ममता शर्मा पुत्री स्व. जयप्रकाश पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी सरदार भगत सिंह कॉलोनी, वार्ड न0 2 रीगंस जिला सीकर
2. जगदीश पुत्र श्री भूराराम जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. हरिराम पुत्र श्री भूराराम जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुन
4. शिवप्रसाद पुत्र स्व. केदारनाथ उर्फ केदारमल जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर महसील मलसीसर जिला झुझुनू
5. काशीप्रसाद पुत्र स्व. केदारनाथ उर्फ केदारमल जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर महसील मलसीसर जिला झुझुनू
6. राज़स्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 05.04.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मौगा पटवार हल्का हरिपुरा की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 100 रकबा 2.29 है0 अवस्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है एवं राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। इस मुताबिक इस भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त है। ग्राम मोगा में अन्य भूमि ख0न0 97 रकबा 3.75 है0, ख0न0 98 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 कुआं, ख0न0 99 रकबा 3.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.04 है0 अवस्थित है। जो गत खसरा नम्बर 90/1मी0 रकबा 16 बीधा 5 बिस्वा व 90/2मी0 रकबा 11 बीधा 12 बिस्वा से बने है। उक्त भूमि की संयुक्त खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से 16 बीधा 7 बिस्वा तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 संयुक्त रूप से 11 बीधा 12 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार है। अंत में वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख0न0 100 रकबा 2.29 है0, ख0न0 97 रकबा 3.75 है0, ख0न0 98 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 कुआं, ख0न0 99

.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.33 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खाता विभाजन मुताबिक कब्जा काश्त अलग करने के आदेश या जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर दग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब पेश वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के हिस्से व कब्जा काश्त के मुताबिक विभाजन किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 बाद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये वाद वादी स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खाता विभाजन मुताबिक कब्जा काश्त अलग करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से, मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन अलग करने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम मेगा पटवार हल्का हरिपुरा की सरहद में भूमि ख0न0 100 रकबा 2.29 है0, ख0न0 97 रकबा 3.75 है0, ख0न0 98 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 कुआं, ख0न0 99 रकबा 3.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.33 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 1000/– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/4/22

(सोधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर